भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2586

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

उचित दर की दुकानों की अव्यवहार्य स्थिति

2586. प्रो. सौगत राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में उचित दर की दुकानों की अव्यवहार्य स्थितियों के बारे में चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो प्रति दुकान 50,000 रुपए प्रतिमाह के न्यूनतम मार्जिन के साथ उनकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा नेटवर्क की अनुपलब्धता, सर्वर डाउन होने, अंगुलियों के निशान का मेल न होने आदि के कारण राशन प्राप्त करने वालों के उत्पीड़न को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उन्हें उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचने की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं जिससे ऐसी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने में मदद मिलती है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित की जाती है। प्रचालन संबंधी जिम्मेदारियां जैसे कि उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाइसेंस प्रदान करना और उनकी निगरानी रखना, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार की होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश, 2015 के खंड 9 के उप खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार, उचित दर दुकान प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान करेगी।

...2/-

सरकार, एफपीएस पर मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से एफपीएस डीलरों के लिए अतिरिक्त व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त करके तथा लाभार्थी अनुभव को बढ़ा करके उचित दर दुकानों (एफपीएस) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने हेतु प्रयास करती रही है। एफपीएस की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे एफपीएस के माध्यम से पहल शुरू करें जैसे जन सेवा केंद्र (सीएससी) सेवाएं, बैंकों/कॉरपोरेट बैंकिंग कॉरसपोंडेंट के साथ टाई-अप करके बैंकिंग सेवाएँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करना, छोटे (5 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री करना, अन्य वस्तुओं/जनरल स्टोर की सामग्री की बिक्री करना आदि।

इसके अलावा, 4 शहरों अर्थात हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर और अहमदाबाद में 60 उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए जन पोषण केंद्र प्रायोगिक (पायलट) अध्ययन किया जा रहा है। लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत सरकार ने यह प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम एफपीएस डीलरों की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए शुरू किया है।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए, इस विभाग ने उचित दर दुकानों के मालिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक उद्यमिता कौशल से लैस करने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया है।

(ख): टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिकों को मार्जिन के रूप में राशि निर्धारित करेगी, जिसकी समीक्षा उचित दर दुकान प्रचालनों की स्थायी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप में की जाएगी।

उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन/कमीशन/मानदेय आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंडों और केंद्रीय हिस्सेदारी के पद्धति का प्रावधान करते हैं, एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग एवं उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के खर्च को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को अप्रैल, 2022 में भी संवर्धित किया गया है।

...3/-

इसके अलावा, राज्य सरकारें वास्तविक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में विनिर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हों, तक सीमित होगी।

वर्तमान में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पास मार्जिन में आगे और संवर्धन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी या परिवार को केवल आधार न होने अथवा नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों या लाभार्थी के बायोमेट्रिक्स पूर्ण रूप से न लगने के कारण बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन में विफलता के कारण सब्सिडीयुक्त खाद्यान्नों का पात्र कोटा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह भी परामर्श दिया जाता है कि लाभार्थियों का आधार प्रमाणन, या तो बायोमेट्रिक रूप से अथवा आईआरआईएस या ईपीओएस उपकरण के जरिए आधार-ओटीपी (लाभार्थी के मोबाइल पर एसएमएस) के माध्यम से प्रमाणन की सबसे उचित पद्धति होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, पीडीएस-ओटीपी (लाभार्थी के मोबाइल पर एसएमएस), यदि उपलब्ध हो, तो लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्यान्नों के वितरण के दौरान लाभार्थियों के प्रमाणन की कोई अन्य पद्धति अपनाता है, तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा वितरण किसी जिम्मेदार सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में हो, ताकि सही व्यक्तियों/लाभार्थियों तक खाद्यान्नों की डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। यह भी सुझाव दिया जाता है कि पीएमजीकेएवाई के मामले में भी लेनदेन के बाद सभी लाभार्थियों को ईपीओएस उपकरण के माध्यम से लेनदेन की रसीद दी जानी चाहिए।

(घ): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकानों के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के तहत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देगी।

******